

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

- कार्यालय धाप -

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/ फार्मसी कॉलेजियल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० संघनाम से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को जयन्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिसर कार्यालय में बैठक चलाने हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अधिसूचित नई संस्थाओं एवं सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के पत्र-15 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की संस्थाएँ जिन्हें द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संस्था में संचालित पूर्व पाठ्यक्रमों में कतिपय पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी किये जाने का अनुरोध किया गया है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रयत्न अनुमोदन पत्र के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	ए०आई०सी०टी०ई०/ परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4081	कांठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनएच 23 काठमांडू-इसाहाबाद रोड, मिर्जापुर, काठमांडू।	तिलीक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग	80 60 80	100 80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/ ए०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवर्ती 1992, सेक्टर विनियमवर्ती-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अधिसूचों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 39,150.00/- प्रतिवर्ष, दो तर्तीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो तर्तीय पाठ्यक्रमों (दो तर्तीय फार्मसी पाठ्यक्रम में अतिरिक्त) हेतु ₹० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क दो वार्षिक जे०/पत्र से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त धात्र/भात्राओं से शुल्क के संकलन में समय-समय पर सहमत द्वारा निर्गत किये जाने वाले आसनादेश प्रमादी होमें, और लक्ष्यपूर्ण कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा गये सत्र 2020-21 हेतु पीरस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो पीरस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (2020 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उ० प्र० समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवर्ती-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश नरेशा परिसर द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिपट रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत आसनादेशों में अनुसार विरोधना एव सम्बद्धता शुल्क प्रमा कलना होगा।

(Handwritten Signature)

- ✓ संस्था को एओआईसीआई/पीसीआई से आगामी तंत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उद्योग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उओप्र तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उओप्र द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किस्तोंका इन धार्मिक पाठ्यक्रम को संस्थाएं यदि पीसीआई, आई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरप्रदेश सरकार का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था क्षम उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बात दायर किया जाता है तथा दायर बाद के संबंध में नो न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विधायक इन धार्मिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थानों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लेखनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वितन प्राप्त होने के पूर्व पीसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही के उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कार्यान्वितन के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आख्यान नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर लेखन की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राय किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु अनुभूत व्यवस्था तालमेल बनाने के साथ वैगन रोडम के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित पाठ्यक्रम को प्रभाव्य बनाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराने गये अर्जिलेख, मुगि-भवन, कर्नांतर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने जायदा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनकारक कार्यवाही की जायेगी।

(नां जाओकेओ सिद्ध)
सचिव

पू०सं०- प्राशिप/परिषद साबद्धता/2020/ 1972-3141

तद्दिनांक: 15-09-2020

प्रतिदिशि-शासनादेश/निदेशक, कमी इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, एमओएओ 20 लखनऊ-द्वाराशासन राइव, गिरनारपुरा, लखनऊ।

(नां जाओकेओ सिद्ध)
सचिव

कार्यालय,

संयुक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संलग्नक-दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सदा पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4041-KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MS-23, VARANASI, ALLAHABAD HIGHWAY, MIRZAMURAD, VARANASI-221307

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	90	90
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	90	90

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेंसेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्राथमिक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और सततुमार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। किस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्देशाण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशांक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त

प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ विप्लोमा इन कार्मिनी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीओसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम जातक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेसिंग टैकले के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम की चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज-सज्जा एडआई/सीटीआई/पीओसीआई/ परिषद ने मासिकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पूमा- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 08/08/2021

पता:-

पञ्जाचार्य निदेशक, KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MS-23, VARANASI ALLAHABAD HIGHWAY,
MIRZAMURAD, VARANASI-221367



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Hemlo, Noida-20, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org



APPROVAL PROCESS 2022-23

Extension of Approval (EOA)

F.No. North/W1/10475726/13/2022/EOA

Date: 22-JUL-2022

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar Pradesh
Sector B Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Naya Bawan,
13th, Lucknow-226001

Subj: Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Re: Application of the institution for Extension of Approval for the Academic Year 2022-23

Sir/Madam,

In pursuance of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approval for Technical Institutions) Regulations, 2022 notified on 4th February, 2022 and amended on 24th February 2022 and norms, standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Form/Serial No.	1-780327	Application Id	1-100032706113
Name of the Institution	KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY	Name of the Society/Trust	JAIN EDUCATION SOCIETY
Institution Address	NO.23, VARANASI-ALLAHABAD HIGHWAY, MIRZAPURAD, VARANASI, VARANASI, VARANASI, Uttar Pradesh, 221107	Society/Trust Address	MOCK VARANASI-ALLAHABAD HIGHWAY, MIRZAPURAD, VARANASI, MIRZAPURAD, VARANASI, Uttar Pradesh, 221107
Institution Type	Private-Self Financing	Region	North/W1
Year of Establishment	2008		
Opted for Introduction of New Program/Level	Yes	Introduction of Program/Level Approved or Not	Approved

To conduct following Courses with the intake indicated below for the Academic Year 2022-23

Level	Program	Course	Affiliating Body (University/Instn)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	WPI Approval Status	PN / GRI (Quota / OOI) Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	90	NA	NA	NA
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	0	60 ⁰⁰	NA	NA

Level	Program	Course	Affiliated Body (University/Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NET Approval Status	FN / Govt/OCI Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education Lucknow	100	90	NA	NA
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTION	Uttar Pradesh Board of Technical Education Lucknow	80	80	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	BIOTECHNOLOGY	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	120	100	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	80	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	30	30	NA	NA
UNDER GRADUATE	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	80	30	NA	NA
POST GRADUATE	MANAGEMENT	MBA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow	90	90	NA	NA

Level	Program	Course	Approving Body (University/Body)	Intake Approved for 2021-22	Intake Approved for 2022-23	NRJ Approval Status	FN / Gulf Qatar OGC Approval Status
POST GRADUATE	MCA	MCA	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University Uttar Pradesh Lucknow	0	00 ⁰⁰	Yes	Yes

Int-Approved New Course(s)

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APTE 2022-23 (Appendix B)

Important Instructions

- The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC (NCL) Gender. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions related to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase or attempt permitted strength over a maximum period of two years.
- The institution offering courses earlier in the Regular, Short, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as Intake and shall have to fill up facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the course specified in the Approval Process Handbook 2022-23 for the Title Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accredited/ Auxiliary status shall have to maintain the Faculty, Student ratio as specified in the Approval Process Handbook. All such Institutions/ Universities shall have to create the necessary Faculty, Infrastructure and other facilities WITHIN 2 YEARS to fill the norms based on the Affidavit submitted to AICTE beginning with the Academic Year 2022-23.
- Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Complaint Committee (ICC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Infrastructure for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be furnished as Approval Process Handbook and provisions made in AICTE Regulation notified from time to time.
- In case of any discrepancy in content in the Computer generated Extension of Approval Letter, the content/format as approved by the Executive Council/ General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Pharmacy Institute: In compliance with the order dated 05/03/2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Transferred Petitions (Civil) No 27/10 of 2014 for the existing institutions offering courses in Pharmacy Programme, approval of Pharmacy Council of India (PCI) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per the respective regulatory body (PCI). In case of any inconsistency in the course name and intake for each issued by AICTE and the approval by PCI, the approval of PCI shall prevail.

Architecture Institute: In compliance with the order dated 05/11/2019 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in CA No. 564/2005 for the existing institutions offering courses in Architecture Programme, approval by the Council of Architecture (CoA) is mandatory and AICTE approval is NOT required. The requirements for running the Programme (Diploma / UG / PG) such as Land & Build-up Area, Student-faculty ratio, Intake etc. will be as per respective regulatory body (CoA). In case of any inconsistency in the course name and intake for CoA issued by AICTE and the approval by CoA, the approval of CoA shall prevail.

Deemed to be University institutions offering Technical Education Programmes: It is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2019-20 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 05/11/2017 passed in CA No 1769-1770/2017.

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
2. The Registrar**,
Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The Principal / Director,
KASHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Mx 23, Varanasi Allahabad Highway, Miconnhasit, Varanasi
Varanasi, Varanasi
Uttar Pradesh 221007
4. The Secretary / Chairman,
MSEZ, VARANASI B/LAHARAD HIGHWAY, MIRZAMURAD, VARANASI
MIRZAMURAD, VARANASI
Uttar Pradesh 221007
5. The Regional Officer,
All India Council for Technical Education
Govt. Polytechnic Campus
Approving Directorate of Technical Education
Vikas Nagar, Kanpur-200 002, Uttar Pradesh
6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course Details may be verified at <http://www.aicteindia.org/>

** Approval/Approval letter copy will not be communicated through Post/Over, however, authenticated copy of Approval/Approval letter copy will be shared through above Email Address to the concerned authorities mentioned above.

This is a computer generated Statement. No signature Required.